भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3651

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात

3651. श्री भोलानाथ 'बी.पी.सरोज' :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश से निर्यातित जैविक कृषि उत्पादों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा वर्तमान में जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को दी जाने वाली नई रियायतें क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश से जैविक उत्पादों के निर्यात का विनियमन और संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) आरंभ किया है। एनपीओपी के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा जारी "जैविक उत्पाद" के रूप में निर्यात हेतु एक संव्यवहार प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, केवल उन्हीं उत्पादों को निर्यात के लिए "जैविक उत्पादों" के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जिन्हें एनपीओपी में उल्लिखित मानकों के अनुसार उत्पादित, प्रसंस्कृत और पैक किया गया हो।

(ख) : देश से निर्यातित जैविक उत्पादों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसका जिले-वार डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) : जैविक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक स्वायत्त संगठन है, जिसे जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अधिदेशित किया गया है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है : जैसे एनपीओपी के अंतर्गत नए उत्पादों को शामिल करना; आयातक देशों द्वारा एनपीओपी मानकों को मान्यता प्राप्त कराने के लिए प्रयास करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके 'इंडिया ऑर्गेनिक-ब्रांड को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करना, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करना इत्यादि।

*****

अनुबंध-I

वर्ष 2019-20 के दौरान/संघ शासित प्रदेश-वार निर्यात			
क्र.सं.	**राज्य**	**निर्यातित मात्रा (एमटी में)**	**कुल मूल्य (लाख रुपये में)**
1	मध्य प्रदेश	351814.26	167020.14
2	गुजरात	58386.91	50917.23
3	महाराष्ट्र	73176.54	47143.70
4	केरल	8110.51	31034.39
5	कर्नाटक	21763.22	28551.11
6	पश्चिम बंगाल	4477.03	27081.61
7	हरियाणा	31062.88	26542.21
8	नई दिल्ली	20688.73	19173.48
9	दमन एवं द्वीव	36230.27	17272.18
10	तेलंगाना	5430.29	11289.21
11	राजस्थान	14518.12	10713.00
12	उत्तर प्रदेश	5281.88	10071.45
13	आंध्र प्रदेश	2340.43	8121.61
14	तमिलनाडु	3736.20	7960.06
15	गोवा	323.08	2001.76
16	जम्मू एवं कश्मीर	816.66	1445.10
17	उत्तराखंड	250.15	725.34
18	असम	286.52	698.72
19	छत्तीसगढ़	19.31	482.44
20	पंजाब	274.70	268.71
21	हिमाचल प्रदेश	10.07	56.57
22	मेघालय	0.57	17.05
23	सिक्किम	0.10	3.74
कुल		**638998.40**	**468590.81**

स्रोत: ट्रेसनेट में प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा

*****